इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 7 फरवरी, 2020 पृष्ठों की संख्या 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------5
विनियामकों के कथन ----------6
बीमा----------7
नयी नियुक्तियाँ ----------7
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली ----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------11
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

अपने ग्राहक को जानिए : भारतीय रिजर्व बैंक ने दी वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया की अनुमति

विनियमित संस्थाओं/कंपनियों (REs) द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP) हेतु डिजिटल चैनलों का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अब आगंतुक ग्राहकों की पहचान करने की सहमति पर आधारित एक वैकल्पिक विधि के रूप में वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया की अनुमति दे दी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक भारत में शारीरिक रूप से मौजूद है ग्राहक की अद्यतन अवस्थिति (geo-tagging) का पता लगाया जाना आवश्यक होता है। श्रव्य-दृश्य अन्योन्यक्रिया (संवाद) स्वयं विनियमित संस्था के प्रक्षेत्र (स्थान) से सम्पन्न किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य पक्ष सेवा-प्रदाता के स्थान से। उसका परिचालन करने हेतु अनुमति केवल उन्हीं अधिकारियों को दी जानी चाहिए जिन्हें वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया निष्पादित करने वाले अधिकारियों के पहचान-पत्र के साथ ऐक्टिविटी लाग को परिरक्षित किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिये आवर्ती भुगतनों की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने सुनियोजित निवेश योजनाओं (SIPs) और बीमा जैसे आवर्ती भुगतानों से संबन्धित उत्पादों के लिए साइन-अप करने में ग्राहकों की सहायता करने

हेतु एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) के माध्यम से आवर्ती भुगतानों से संबन्धित ई-अधिदेश के संसाधन की अनुमति देना आरंभ कर दिया है। इस व्यवस्था के अधीन लेनदेनों की सीमा 2000 रुपए निर्धारित की गई है।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : संपर्क-रहित कार्ड भुगतानों की सुविधा केवल तभी प्रदान करें जब वह विकल्प अपनाया गया हो

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे संपर्क-रहित कार्ड लेनदेन सुविधा केवल उन्हीं प्रयोक्ताओं को प्रदान करें जो उसे प्राप्त करने का विकल्प विशिष्ट रूप से अपनाएं। इस निदेश का उद्देश्य प्रयोक्ता सुविधा में सुधार लाना और कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को सुरक्षात्मक विशेषताएँ बढ़ाने हेतु 60 दिन प्रदान किए

प्रयोक्ता सुविधा में सुधार लाने और कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को उनके जोखिम अवबोध के आधार पर यह निर्णय करने हेतु दो महीने का समय दिया है कि कार्ड की गैर-मौजूदगी वाले (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) लेनदेनों तथा कार्ड की मौजूदगी वाले (अंतर्राष्ट्रीय) लेनदेनों एवं संपर्क-रहित लेनदेन अधिकारों को निष्क्रिय कर दिया जाए अथवा नहीं। इस उद्देश्य के लिए ऐसे मौजूदा कार्डों को अनिवार्य रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिनका प्रयोग आनलाइन (कार्ड की गैर-मौजूदगी)/अंतर्राष्ट्रीय /संपर्क-रहित लेनदेनों के लिए कभी नहीं किया गया है।

रुपया-डालर व्युत्पन्नियों की जिफ्ट सिटी में पहुँच आसन्न

रुपया-डालर व्युत्पन्नियाँ (derivatives) बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) द्वारा गांधीनगर, गुजरात स्थित जिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (IFSC) में स्थापित शेयर बाजारों में पहुँचने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने (विदेशी मुद्रा में निपटान की जाने वाली) रुपया व्युत्पन्नियों का क्रय-विक्रय सभी अंतर्राष्ट्रीय

वित्तीय सेवा केन्द्रों में किए जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) के अधीन विनियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है। अपतटीय रुपया बाजार निर्मित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया विनिमय दर सहित भावी सौदों (futures) और विकल्पों (options) दोनों की अनुमति दे दी है।

आईबीबीआई ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया नियम संशोधित किए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में ऐसे परिवर्तन अधिसूचित किए हैं जिनके द्वारा किसी परिसमापक को कारपोरेट व्यक्ति के विघटन हेतु

कोई आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अदावी लाभांशों तथा प्राप्त होने वाली अवितरित राशियों को किसी परिसमापन प्रक्रिया में उसमें अर्जित किसी आय के साथ एक कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में जमा करना होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बिक्री के लिए आभूषणों को समूहित करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को किसी एक जिले में स्थित विभिन्न शाखाओं से स्वर्णाभूषण समूहित करने तथा उसकी उसी जिले में स्थित किसी भी स्थान पर इस शर्त पर कि पहली नीलामी असफल हो गई हो, नीलामी करने की अनुमति दे दी है। 'किसी एकल उत्पाद – स्वर्णाभूषण की प्रतिभूति के समक्ष उधार' पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीलामी से संबन्धित अन्य सभी निदेशों (यथा पूर्व सूचना, नियत कीमत, स्वतंत्र संबंध (arms length relationship), प्रकटन आदि) का पालन किया गया हो। उपर्युक्त शर्तों के गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई लागू होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय दबाव का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रणाली संशोधित की

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय दबाव का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) आरंभ करने हेतु अपने पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) को युक्तिसंगत बना दिया है। शहरी सहकारी बैंकों को उनकी अनर्जक आस्तियों (NPAs) के निवल अगृमों के 6% से अधिक होने, हानि वहन किए जाने तथा पूंजी पर्याप्तता के घटकर 9% से कम हो जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अधीन रखा जाएगा। आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 100% से अधिक के जोखिम-भार वाले नए ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एक्सपोजर सीमा में कमी जैसे उपाय निर्धारित कर सकता है। विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना लाभांश/दान के भुगतान की घोषणा पर प्रतिबंध लगा सकता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भुगतान फ़र्मों के जुर्माना मानदंड संशोधित किए गए

विविध हितधारकों (ग्राहकों सहित) की सुरक्षा एवं निरापदता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं का पालन न किए जाने हेतु भुगतान प्रणाली के प्रचालकों पर जुर्माना लगाने से संबन्धित मानदंडों को संशोधित कर दिया है। मौद्रिक जुर्माने की रकम विविध कारकों के प्रभाव पर निर्भर करते हुये अलग-अलग होगी।

भारी आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रत्येक तिमाही में बड़े एक्सपोजर की रिपोर्ट क्रिल्क को करना आवश्यक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च के दिन 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कुल आस्तियों वाले शहरी सहकारी बैंकों को शुरुआती तौर पर बड़े एक्सपोजरों की तिमाही आधार पर बड़े ऋणों से

संबन्धित केंद्रीय सूचना भंडार/रिपोजिटरी (CRILK) को रिपोर्ट करनी होगी। उक्त आंकड़े एक्सबीआरएल ((डिजिटल कामकाज रिपोर्टिंग के लिए मुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानक) के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के प्लेटफार्म पर तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए।

विनियामकों के कथन

वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन करना एक बड़ी चुनौती : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का कहना है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन करना केंद्रीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यथार्थ समय आधार पर संभाव्य उत्पादन और उत्पादन अंतर जैसे मुख्य मापदण्डों/प्राचलों के सटीक अनुमान जो मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि, उनका कहना है कि इन चुनौतियों के बावजूद प्रति-चक्रीय नीतियों के समय पर उपयोग के लिए मुद्रास्फीति के प्रति मांग एवं आपूर्ति पक्ष के आघातों में धीमेपन के वास्तविक स्वरूप के संबंध में एक धारणा अपनानी होगी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि वित्तीय स्थिरता के केन्द्रबिन्दु ने अपनी पहुँच को वित्तीय समावेशन तक विस्तारित कर लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की ओर से समन्वित नीतिगत कार्रवाई पर बल

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह मत व्यक्त किया है कि सभी देशों में तुल्यकालिक मंदी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समन्वित नीतिगत कार्रवाई को आवश्यक बना देती है। उनका कहना है कि "भारत जैसी उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के मामले में वैश्विक वृद्धि में उनके योगदान को देखते हुये वृद्धि का त्वरित पुन: प्रवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतएव, सभी देशों द्वारा समन्वित एवं सामयिक कार्रवाई की नितांत आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि "2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हुआ, बहुपार्श्विकतावाद (multilateralism) वैश्विक वार्तालाप का

अग्रभाग बन गया था। दस वर्ष के बाद जब वैश्विक मंदी की प्रवृत्ति मौजूद है, वह कोई प्रबल विषय नहीं रह गई है। बहुपक्षीय भावुकता को द्विपक्षीयतावाद (bilateralism) ने पीछे छोड़ दिया है।"

कृषि क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला में सुधार की आवश्यकता: दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास खुदरा कीमतों में कृषकों के औसत अंश में वृद्धि को प्राथमिकता दिये जाने के साथ ही कृषि बाजार में आपूर्ति शृंखला में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। प्रमुख प्राथमिक खाद्य मदों में कृषकों का औसत अंश 28% से लेकर 78% के बीच भिन्न-भिन्न है, किन्तु इस अंश को और बढ़ाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा जिससे घरेलू मांग को स्थिर रखने में सहायता प्राप्त होगी। गवर्नर का यह भी कहना है कि अपेक्षाकृत व्यापक सड़क नेटवर्क, बेहतर संचार सुविधाएं तथा सूक्ष्म ऋण तक सरल पहुँच किसानों के लिए बेहतर मूल्य वसूली में योगदान करेंगे। वित्तीय स्थिरता के साथ उच्च वृद्धि धन सृजन और उसके कीमत-लागत अंतर (spread) प्रभाव की प्रक्रिया में समावेशन ला सकता है। बढ़ी हुई कर वसूली का उपयोग सामाजिक एवं मूलभूत सुविधा के खर्चों में किया जा सकता है।

बीमा

इर्डाई द्वारा विनियामक सैंडबाक्स के तहत 37 उत्पादों को स्वीकृति

अपने ढंग की एक पहली मुहिम में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य, मोटर और मध्यवर्ती श्रेणियों के अधीन 37 उत्पाद/अनुप्रयोग अनुमोदित किए हैं। बीमाकर्ता

1 फरवरी से इन 37 अनुमोदित नए उत्पादों को बेचने का प्रयास करेंगे। आवश्यक होने पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण समय वैधता को विस्तारित भी कर सकता है।

अधिकतम 5 लाख रुपए की बीमित रकम वाली मानक स्वास्थ्य पालिसियाँ प्रदान करें

8

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मानक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से ऐसे उत्पाद प्रदान करने हेतु कहा गया है जो अधिकतम 5 लाख रुपए तथा न्यूनतम 1 लाख रुपए की बीमित रकम के साथ ग्राहकों की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकतायें पूरी कर सकें। उक्त उत्पाद का नामकरण आरोग्य संजीवनी पालिसी होगा जिसका उल्लेख बीमा कंपनी के नाम के बाद होगा। मानक स्वास्थ्य उत्पाद के तहत अनिवार्य सुरक्षा में अस्पतालीकरण खर्चों, उप-सीमाओं की शर्त पर मोतियाबिंद, दंत चिकित्सा तथा ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो बीमारी अथवा चोट के कारण आवश्यक हो गई हो, पूरे दिन की स्वास्थ्य की देखरेख चिकित्साओं तथा प्रत्येक अस्पतालीकरण अधिकतम 2000 रुपए की शर्त पर सड़क ऐम्बुलेन्स पर खर्च का समावेश होगा।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम / संगठन
श्री माइकल पात्रा	भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त
श्री चेल्ला एस॰ शेट्टी	भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर	केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री संजीव चड्ढा	बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री अतनु कुमार दास	बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री सुरेश कृष्णचंद खतनहर	आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 जनवरी, 2020 के दिन बिलियन रुपए	24 जनवरी, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3328631	466693

(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3087772	432919

(ख) सोना	204812	28715
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10290	1,443
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	25757	3615

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.59400	1.45100	1.39500	1.357900	136550
जीबीपी	0.67730	0.6918	0.6763	0.6762	0.6828
यूरो	-0.35000	-0.357	-0.341	-0.311	**-0.273**
जापानी येन	0.00880	0.016	0.015	0.043	0.041
कनाडाई डालर	2.03000	1.752	1.716	1.696	1.683
आस्ट्रेलियाई डालर	0.71300	0.653	0.652	0.775	0.819
स्विस फ्रैंक	-0.64250	-0.675	-0.675	-0.653	-0.613
डैनिश क्रोन	-0.25580	-0.2367	-0.2141	-0.1755	-0.1380
न्यूजीलैंड डालर	1.17300	1.150	1.150	1.165	1.200
स्वीडिश क्रोन	0.19600	0.190	0.196	0.213	0.243
सिंगापुर डालर	1.45000	1.365	1.340	**1.340**	1.345
हांगकांग डालर	2.06000	1.860	1.770	1.710	1.680
म्यामार	3.07000	3.050	3.070	3.090	3.100

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI)

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो कतिपय बैंकिंग विशेषताओं, सिवान-रहित निधि परेशान तथा व्यापारी भुगतानों को मिश्रित करते हुये (किसी भी सहभागी बैंक के) कई एक बैंक खातों को एकल मोबाइल अनुप्रयोग में एक हुड में

रूपांतरित कर देती है। यह समकक्ष से समकक्ष (peer to peer) तक के ऐसे वसूली अनुरोध को भी कार्यान्वित करती है जिन्हें आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है तथा उनका भुगतान किया जा सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

सामान्य वितरण

गाउसीय/गासियन वितरण के रूप में भी ज्ञात सामान्य वितरण एक ऐसा संभाव्यता वितरण होता है जो यह दर्शाते हुये कि माध्य के पास वाले आंकड़े उत्पत्ति की दृष्टि से माध्य से दूर वाले आंकड़ों की अपेक्षा अधिक आवृत्ति वाले होते हैं माध्य के बारे में सममित/सामंजस्यपूर्ण होते हैं। लेखाचित्र के रूप में सामान्य वितरण एक घंटाकार वक्र के रूप में दिखाई देगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी/मार्च, 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
"विपणन एवं ग्राहक सेवा" पर कार्यक्रम	13 से 15 फरवरी, 2020 तक	मुम्बई
"दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016" पर एक दिवसीय कार्यशाला	17 फरवरी, 2020	मुम्बई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	17 से 19 फरवरी, 2020 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	17 से 19 फरवरी, 2020 तक	दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत भौतिक विधि से प्रशिक्षण	22 से 24 फरवरी, 2020 तक	मुम्बई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाण पत्र हेतु परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	24 से 26 फरवरी, 2020 तक	दिल्ली

प्रमाणित खजाना व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत भौतिक विधि से शिक्षण	22 से 24 जनवरी, 2020 तक	मुम्बई
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	27 से 29 फरवरी, 2020 तक,	चेन्नै

धन शोधन निवारण और आतंकवाद का मुक़ाबला पर कार्यक्रम	27 से 29 फरवरी, 2020 तक	दिल्ली
बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों हेतु 9वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2 से 7 मार्च, 2020 तक	मुंबई
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों हेतु परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण	3 से 5 मार्च, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

कोलकाता स्थित नए परिसर का उदघाटन, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रमुखों की बैठक तथा 1 फरवरी, 2020 को बैंकों का पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान

संस्थान ने 59 ए, अवनि हाइट्स, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (रबीन्द्र सदन मेट्रो स्टेशन के पास), 2री मंजिल, कोलकाता-700 020 में स्वयं अपना परिसर खरीद लिया है। उक्त नए परिसर का उदघाटन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एवं इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार द्वारा किया गया जिसमें इन्टरनेट के
माध्यम से प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा/कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु एक स्टुडियो सहित अधुनातन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपने परिसर के उदघाटन के साथ-साथ संस्थान ने शनिवार, 1 फरवरी, 2020 को अपरानह 2.30 बजे से 4.00 बजे तक होटल हिंदुस्तान इन्टरनेशनल, ए-235/1, एजेसी बोस मार्ग, कोलकाता- 700-020 में बैंकों के मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रमुखों की बैठक का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठापूर्ण 36वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान भी 1 फरवरी, 2020 को अपरान्ह 4.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक उसी स्थल पर आयोजित किया गया। उक्त व्याख्यान एनसीलैट (NCLAT) के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एस॰ जे॰ मुखोपध्याय द्वारा ''आईबीसी एंड इट्स इम्पैक्ट आन दी एकोनामी'' विषय पर दिया गया।

हीरक जयंती शोध प्रस्ताव हेतु आमंत्रण

संस्थान वर्ष 2019-20 के लिए हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) शोध प्रस्ताव आमत्रित करता है। विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये

पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री
प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित

प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने
तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के जनवरी -मार्च, 2020 अंक के लिए विषय-वस्तु है :

- आल्टरनेटिव चैनेल्स आफ इन्वेस्टमेंट्स- सब-थीम्स : म्यूचुअल फंडस, पोस्ट आफिस एंड बैंक डिपोजिट्स एंड अदर्स

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए +99+आयोजित की
जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा
जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की
महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

15

(ii) संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जून, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा
जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक
की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

5.6
5.4

5.2
5
4.8
4.6

अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूज़लेटर, जनवरी, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
16
90
85 शृंखला 1
80 **शृंखला 2**
75 **शृंखला 3**
70 शृंखला 4
65
60
55
50

अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अकतूबर, 2019, नवम्बर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00

अगस्त, 2019, सितम्बर, 2019, अकतूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

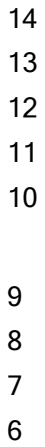

जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी,, 2020

समग्र जमा वृद्धि %

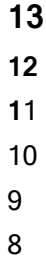

जून, 2019, जुलाई, 2019 अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2020

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन फरवरी, 2020